राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(06)गृह–1/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक: 25 NOV 2019

:: आदेश ::

राज्य सरकार दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 157 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में पुलिस थानों में पदस्थापित ऐसे आरक्षी (कान्स्टेबल) जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो, 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर एसीपी (Assured Career Progression) प्राप्त हो गई हो, 05 वर्ष की सेवाऐं पुलिस थाने या पुलिस चौकी पर दी गई हों एवं जिन्होंने अनुसंधान का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् महानिदेशक पुलिस द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, को भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियमों में उन अपराध, जिनमें अधिकतम दो वर्ष तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान हो, में अनुसंधान करने हेतु एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक /उप महानिरीक्षक रेंज.....।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर.....
5. पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक.....।
6. राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, गृह विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

5/11/19
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस